R - 4146 - III/14

1. रामनरेश गुप्ता तनय स्व. महादेव गुप्ता उम्र– 58 वर्ष
2. रामसुदर्शन गुप्ता तनय स्व. महादेव गुप्ता उम्र– 55 साल
3. राघो गुप्ता तनय स्व. महादेव गुप्ता उम्र– 50 साल
4. रामकृष्ण गुप्ता तनय स्व. महादेव गुप्ता उम्र– 48 साल

सभी निवासी ग्राम कुचवाही, तहसील बहरी, थाना कोतवाली सीधी जिला– सीधी (म०प्र०) --------निगरानीकर्तागण

श्री. विजय बिहारी गुप्ता एड. द्वारा आज दिनांक. 5-12-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा.

बनाम

1. बैजनाथ पिता मोहन गुप्ता उम्र– 45 साल
2. समयलाल तनय लहरी गुप्ता उम्र– 40 साल

दोनो निवासी ग्राम कुचवाही, तहसील बहरी, थाना कोतवाली सीधी जिला– सीधी (म०प्र०) ----------उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध प्रस्ताव न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, गोपदबनास के प्रकरण क्र. 13/अपील/2014 नामी प्रकरण बैजनाथ बनाम रामनरेश गुप्ता वगैरह में पारित स्थगन आदेश दिनांक–03.12.14 के सम्बंध में।

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

क्रमांक 3893 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 6-12-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी का सूक्ष्म तथ्य

यह कि निगरानीकर्तागण एवं उत्तरवादीगण एक ही परिवार के है तथा ग्राम स्थित आराजी कुचवाही तहसील बहरी जिला सीधी (म०प्र०) की आराजी खसरा क्रमांक– 378 रकवा 0.07, 930 रकवा 0.23, 937 रकवा 0.01, 938 रकवा 0.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4146–तीन/2014 जिला सीधी

रामनरेश गुप्ता आदि विरूद्ध बैजनाथ आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदवनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 13/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–11–2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 03–12–2014 को प्रकरण पंजीबद्ध कर उत्तरवादीगण को अहूत करने, अभिलेख मंगाने तथा एक माह अर्थात 31–12–2014 तक के लिए अपीलाधीन आदेश के कियान्वयन की कार्यवाही स्थगित की है, जो व्यतीत हो चुका है। चूंकि दिनांक 31–12–2014 की पेशी निकल जाने के पश्चात आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके अतिरिक्त म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी स्थगन दिये जाने के अधिकृत है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	